कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

संख्या 22600-74/दस-लाइसेंस-9/नयी बीयर/बार नीति/2015-16

प्रेषक,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

दिनांकः इलाहाबादः जनवरी 23,2015

विषय :- **वर्ष 2015-16 हेतु बार अनुज्ञापनों की लाइसेंस फीस के निर्धारण के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में अवगत कराना है कि शासनादेश सं0 116 ई-2/तेरह-2014-126/2013 दिनांक 29-01-2014 के भाग-2(ब) के प्रस्तर-2.21 के अन्तर्गत सभी श्रेणी के बार अनुज्ञापनों की लाइसेंस फीस में वृद्वि की गयी है। तदनुसार सभी प्रकार के बार अनुज्ञापनों की श्रेणीवार फीस दिनांक 01-04-2015 से निम्नानुसार होगी :-

निश्चित फीस प्रणाली (रुपये में)		
होटल/रेस्टोरेन्ट बार/ क्लब परमिट	जनपद गौतमबुद्वनगर एवं जनपद गाजियाबाद सम्पूर्ण जनपद के क्षेत्र में तथा जनपद आगरा, कानपुर नगर, इलाहाबाद, वाराणसी, लखनऊ, गोरखपुर, बरेली, मेरठ, मुरादाबाद, अलीगढ़, झांसी, सहारनपुर, बुलन्दशहर, मथुरा तथा मुजफ्फरनगर के नगर निगम क्षेत्र/जनपद मुख्यालय के नगर पालिका परिषद क्षेत्र, जिनमें छावनी बोर्ड, नोटीफाइड एरिया एवं विकास प्राधिकरण, यदि कोई हो, के क्षेत्र भी सम्मिलित हैं, तथा उपरोक्त जनपदों के ऐसे क्षेत्रों में स्थित ऐसे नगरीय/ग्रामीण क्षेत्र जो उक्त क्षेत्रों में भले सम्मिलित न हों, किन्तु उन क्षेत्रों से घिरे हुये हों, में स्थित होटल/रेस्टोरेन्ट	स्तम्भ-2 में विनिर्दिष्ट क्षेत्र से भिन्न क्षेत्र में स्थित होटल/ रेस्टोरेन्ट
(1)	(2)	(3)
(क) एफ0एल0-6(समिश्र) कमरों की संख्या के आधार पर होटलों का वर्गीकरण (एक) 30 कमरों तक	6,36,000	5,09,000
(दो) 30 कमरों से अधिक किन्तु 70 से अनाधिक तक	7,63,000	5,76,000
(दो) 70 कमरों से अधिक किन्तु 100 से अनाधिक तक	8,30,000	7,63,000
(तीन) 100 से अधिक कमरे	9,56,000	8,30,000
(ख) एफ0एल0-6क (समिश्र) (चार व पांच सितारा होटल)	15,25,000	13,99,000
(ग) एफ0एल0-7 के लिए	5,76,000	4,48,000
(घ) एफ0एल0-7ख के लिए	1,94,000	1,34,000
(ङ) एफ0एल0-7सी (क्लब परमिट)		
(एक) 100 सदस्यों तक	1,64,000	1,64,000
(दो) 101 से 500 तक के सदस्यों के लिए	2,25,000	2,25,000
(तीन) 500 से अधिक सदस्यों के लिए	2,55,000	2,55,000

अग्रिम प्रतिबंध यह भी होगा कि किसी भी बार अनुज्ञापन की वर्ष 2015–16 की लाइसेंस फीस उसके द्वारा वर्ष 2014–15 में अदा की गयी लाइसेंस फीस से कम नहीं होगी। लाइसेंस फीस की अदायगी के उपरान्त निम्न सुविधायें वर्ष 2015–16 हेतु अनुमन्य होंगी :–

(1) स्टार होटलों के सभी कमरों में तथा नान स्टार होटलों के केवल ए.सी. कमरों में अन्तःवासियों हेतु मिनी बार की सुविधा।

(2) होटलों में मदिरा पीने के लिए अनुमन्य बार रुम एवं होटल के कमरों के अतिरिक्त अन्य स्थानों यथा कानफ्रेन्स रुम, वैंकेटहाल, स्वीमिंग पूल व अन्य किसी स्थल पर अधिकतम 5 अतिरिक्त स्थलों की सीमा के अन्तर्गत अन्तःवासियों हेतु मदिरा पान की सुविधा।

(3) भारत निर्मित विदेशी मदिरा तथा आयातित विदेशी मदिरा की प्रदेश में विक्रय हेतु अनुमन्य ब्राण्डों की 60 एम.एल. की धारिता की बोतलों की होटल के कमरों में उपलब्धता।

(4) ड्राट बीयर एवं बीयर की सभी धारिताओं की बोतलों, केन पैक सहित, उपलब्धता।

(5) वाइन की सभी धारिताओं की बोतलों की उपलब्धता।

अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(किशन सिंह अटोरिया)
आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

संख्या 22675-818 **/दस–लाइसेंस–9/नयी बीयर/बार नीति/2015–16/तददिनांक**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त संयुक्त/उप आबकारी आयुक्त(जोन/प्रभार), उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिला आबकारी अधिकारी, उत्तर प्रदेश को इस आशय से प्रेषित कि अपने जनपद के बार अनुज्ञापियों को सूचित करते हुये बार अनुज्ञापनों की फीस उपरोक्तानुसार जमा करवाना सुनिश्चित करें।
4. समस्त सहायक आबकारी आयुक्त, प्रवर्तन/एस.एस.एफ/आसवनियॉं/यवासवनियॉं, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त अनुभाग प्रभारी, मुख्यालय।
6. वरिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी, मुख्यालय को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि विभागीय वेवसाइट **www.upexcise.in** पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
7. लाइसेंस अनुभाग गार्ड फाइल।

(किशन सिंह अटोरिया)
आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।